न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोधपुर (उत्तर)

पीठासीन अधिकारीः— पंकज कुमार, आर.ए.एस.
राजस्व अपील संख्याः—07/2022
अपीलान्ट
भजनी देवी

बनाम

रेस्पोडेंट
ओप्रकाश वगैराह

आदेश

दिनांकः—

अपील अन्तर्गत धारा 75 एल आर एक्ट विरूद्व नामान्तरकरण सख्या 260 जो ग्राम पंचायत चौखा द्वारा दिनांक 30.07.1995 को स्वीकार किया गया। जिसमे रेस्पोडेन्ट संख्या 5 की और से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत् म्युटेशन अपील की समरी प्रोसिडिंग स्थगित करने बाबत्

उपस्थितिः— श्री माधव राज चौधरी अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
श्री सत्यनारायण राजपुरोहित रेस्पोडेंट स. 5 की ओर से

आदेश

दिनांकः— 01/8/24

वकील अपीलांट ने एक अपील 75 एल आर एक्ट में पेश की जिसमें रेस्पोडेंट संख्या 5 के अधिवक्ता ने एक प्रार्थना पत्र पेश किया जिसमें तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि भाईयो के नाम से म्युटेशन भरे जाने के बांद ओमप्रकाश वगैरा के आम मुखत्यार यमुना प्रसाद पेशवा ने अपील में वर्णित भुमि मुझ रेस्पोडेन्ट संख्या 5 को जरिये रजिस्टर्ड बैचाननामो से विक्रय की। उक्त बैचाननामे ऐग्रीमेंन्ट वर्ष 2006 के अनुसरण मे लिखे गये तथा अपील मे वर्णित भूमि का कब्जा वर्ष 2006 में बरवक्त एग्रीमेंन्ट मुझ रेस्पोडेन्ट संख्या 5 को सुपुर्द कर दिया गया। उक्त भुमि के आगे कि तरफ मेरी पक्की बाउन्ड्री वाल बनी हुई है पीछे जाली लगा कर तारबंदी की हुई है अंदर मेरे रहवासीय कमरें, ढालिये इत्यादी बने हुए है। उक्त भुमि पर मेरा लोहे का बहुत बडा केबीन रखा हुआ है भुमि के आगे कि तरफ लोहे के गेट लगे हुए है जिस पर मेरा नाम लिखा हुआ है उक्त भूमि में पत्थर, बजरी, बिल्डिंग मेटेरियल की आखली वगैरा भी है तथा मेरे नाम का बिजली का कनेक्शन भी है। विस्तृत कथन मेरे द्वारा मौका कमिश्नर रिपोर्ट में वर्णित किये गये है। रजिस्टर्ड बैचाननामों अनुसार मेरे पक्ष में म्युटेशन भी भरा गया। उपरोक्त सभी तथ्यों कि पुष्टि अपीलान्ट के सगी बहनें चुकीदेवी व कमलादेवी द्वारा जवाब अपील में की गई है। पक्ष में हुए रजिस्टर्ड बेचाननामों को निरस्त करने के लिए अपीलान्ट भजनीदेवी व बिदामी देवी वगैरा ने एक सिविल नियमित वाद न्यायालय जिला न्यायाधीश जोधपुर शहर मे प्रस्तुत किया जो वर्तमान मे अति. जिला न्यायाधीश संख्या 3 जोधपुर महानगर में विचाराधीन है जिसमें आगामी तारीख पेशी दिनांक 09.05.2024 की है।माननीय राजस्व मण्डल ने अपने विभिन्न निर्णयों में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि जहां रेगूलर सूट यानि नियमित वाद विचाराधीन हो वहां म्यूटेशन अपील की समरी प्रोसेडिग्स् को स्टे कर देना चाहिए।

उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर (उत्तर)

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि उक्त अपील की कार्यवाही नियमित वाद संख्या 89/2024 ओमप्रकाश वगैरा बनाम संतोष वगैरा के निर्णय तक स्थगित फरमाई जावे।

अपीलान्ट ने जवाब पेश ना कर सीधे ही बहस में भाग लिया। रेस्पोडेंट संख्या 5 की ओर से लिखित बहस पेश की गई जो इस प्रकार है कि अपील में रेस्पोडेंट संख्या 5 प्रवीण की ओर से इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है कि नियमित वाद विचाराधीन होने के कारण यह अपील चलने योग्य नहीं है। ग्राम चौखा के खसरा नम्बर 690 व 691 की 23 बीघा 10 बिस्वा भूमि नारायणराम पुत्र तिलाराम व मूलाराम पुत्र तिलाराम की खातेदारी की थी, जिसमें 1/2 हिस्सा नारायणराम का व 1/2 हिस्सा मूलाराम का था। नारायणराम के देहांत के पश्चात उसके 1/2 हिस्से की भूमि उसके लडकें व लडकियों के नाम दर्ज हुई तथा मूलाराम के 1/2 हिस्से की भूमि उसके पुत्र ओमप्रकाश, मोहनराम एवं उसकी पत्नी रेती देवी के नाम म्युटेशन संख्या 260 के जरिये वर्ष 1995 में दर्ज हुई। नारायणराम के सभी वारिसान एवं मूलाराम के पुत्र एवं पत्नी द्वारा उक्त 23 बीघा 10 बिस्वा भूमि रेस्पोडेंट संख्या 5 प्रवीण वगैरा को जरिये बेचान इकरारनामा के विक्रय की गई एवं कब्जा भूमि का वर्ष 2006 में ही रेस्पोडेंट संख्या 5 प्रवीण को सुपुर्द कर दिया गया तथा बाद में ओमप्रकाश वगैरा के आममुख्तयार यमुनाप्रसाद जी पेशवा ने उक्त भूमि वर्ष 2015 में विभिन्न रजिस्टर्ड बेचाननामों के जरिये रेस्पोडेंट संख्या 5 प्रवीण को विक्रय कर दी, जिसके आधार पर म्युटेशन संख्या 1436 तहसीलदार, जोधपुर द्वारा रेस्पोडेंट संख्या 5 के पक्ष में स्वीकृत किया गया।भूमि बेचान करके अपीलान्ट के भाई ओमप्रकाश वगैरा ने बेचान के प्रतिफल की सम्पूर्ण राशि प्राप्त कर ली तथा बाद में खरीददार को तंग, हैरान व परेशान करने के लिए अपनी बहनों को तैयार करके यह म्युटेशन की अपील श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत करवाई है, जिसमें भाई एवं बहनों के बीच में आपस में मिलीभगत है। यह उल्लेख करना भी उचित होगा कि वर्ष 2015 में मुझ रेस्पोडेंट संख्या 5 प्रवीण के पक्ष में हुए रजिस्टर्ड बेचाननामों की जानकारी अपीलान्ट को वर्ष 2016 से ही थी, जिस संबंध में अपीलान्ट तथा उसकी बहने रेस्पोडेंट संख्या 6 चूकी देवी व रेस्पोडेंट संख्या 7 श्रीमती कमला ने अपने जवाब अपील में यह तथ्य अंकित किया है कि वर्ष 2015 में प्रवीण पुत्र ओमाराम के पक्ष में रजिस्टर्ड बेचाननामें होने पर जनवरी 2016 में सभी बहने आममुख्तयार यमुनाप्रसाद जी पेशवा से मिली तथा वादग्रस्त भूमि में अपना भी हक क्लेम किया। वास्तविकता में मुझ रेस्पोडेंट संख्या 5 के पक्ष में वर्ष 2006 में जो एग्रीमेंट हुआ तथा वर्ष 2015 में जो बेचाननामें हुए, उसकी जानकारी अपीलान्ट को शुरू से ही थी एवं बेचान के बाबत उनकी सहमति थी, उनके द्वारा तत्समय बेचान के बाबत किसी प्रकार का विवाद नहीं किया गया, जबकि उनको यह स्पष्ट जानकारी थी कि भाईयों द्वारा भूमि बेचान की जा चुकी है। भूमि खरीदने के पश्चात रेस्पोडेंट संख्या 5 ने उक्त भूमि के आगे की तरफ लगभग 1100 फुट लम्बी, पक्की चार दीवारी बनाई, अंदर रहवासीय कमरे, ढालिये इत्यादि बनाये, भूमि के आगे की तरफ लोहे का बडा गेट लगाया, जिस पर रेस्पोडेंट संख्या 5 का नाम लिखा हुआ है,

उपखण्ड अधिकारी (उत्तर) जोधपुर

उपखण्ड अधिकारी

उक्त भूमि में पत्थर, बजरी, ईंटे इत्यादि बिल्डिंग मेटेरियल का स्टोरेज भी है तथा रेस्पोडेंट संख्या 5 के नाम का बिजली का कनेक्शन भी है। कब्जे के संबंध में विस्तृत कथन मौका कमिशनर रिर्पोट में किये गये है। इस प्रकार सम्पूर्ण 23 बीघा 10 बिस्वा भूमि वर्ष 2006 से रेस्पोडेंट संख्या 5 के कब्जे व उपयोग–उपभोग में चली आ रही है, क्योंकि वर्ष 2006 के एग्रीमेंट में खातेदारों ने कब्जा सुपुर्द कर देने का स्पष्ट उल्लेख किया है। अपीलान्ट को वर्ष 2006 से ही उक्त सभी तथ्यों की जानकारी है कि भाईयों एवं अन्य खातेदारों द्वारा भूमि विक्रय की गई है, लेकिन तत्समय अपीलान्ट ने कोई आपत्ति नहीं की, लेकिन कुछ समय पहले रेस्पोडेंट संख्या 5 के पक्ष में हुए रजिस्टर्ड बेचाननामों को निरस्त करने का सिविल वाद प्रस्तुत किया, जो विचाराधीन है। अपीलान्ट की सगी बहने रेस्पोडेंट संख्या 6 व 7 ने जवाब अपील में रेस्पोडेंट संख्या 5 के पक्ष में. हुए बेचाननामों को विधिवत होना स्वीकार किया है तथा अपीलान्ट व उनको बेचाननामों की जानकारी वर्ष 2016 से ही होना अंकित किया है। फौतेदगी का म्युटेशन संख्या 260 जिसकी अपील अपीलान्ट द्वारा श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत की गई है, उसके पश्चात रजिस्टर्ड बेचाननामें हो जाने के कारण तथा रजिस्टर्ड बेचाननामों के आधार पर म्युटेशन संख्या 1436 स्वीकृत हो जाने के कारण उक्त फौतेदगी म्युटेशन आगे रजिस्टर्ड बेचाननामों के आधार पर हुए म्युटेशन में मर्ज हो गया एवं रजिस्टर्ड बेचाननामों के अनुसार रेस्पोडेंट संख्या 5 प्रवीण के पक्ष में जो म्युटेशन भरा गया, उसे अपीलान्ट ने कहीं पर भी चुनौती नहीं दी है, इसलिए जब तक रजिस्टर्ड बेचान के आधार पर भरा गया म्युटेशन निरस्त नहीं हो जाता है, तब तक फौतेदगी म्युटेशन में किसी प्रकार की रिलीफ अपीलान्ट को नहीं दी जा सकती है। यहां यह उल्लेख करना भी उचित होगा कि रेस्पोडेंट संख्या 5 के पक्ष में जो रजिस्टर्ड बेचाननामें है, उनको निरस्त करने के लिए अपीलान्ट एवं उसके भाईयों ने मिलकर बेचाननामा निरस्तीकरण का वाद जिला न्यायालय, जोधपुर में प्रस्तुत किया है, उसमें अपीलान्ट के भाई भी वादी है तथा अपीलान्ट भी वादी है। इससे यह स्पष्ट होता है कि अपीलान्ट एवं उसके भाईयों के बीच में आपस में मिलीभगत है। रेस्पोडेंट के पक्ष में जो रजिस्टर्ड बेचाननामें है, वे विधिवत है या नहीं, यह प्रश्न सिविल न्यायालय में विचाराधीन है। जब तक रजिस्टर्ड बेचाननामें निरस्त नहीं हो जाते, तब तक रजिस्टर्ड बेचाननामों के आधार पर भरा गया म्युटेशन निरस्त नहीं किया जा सकता एवं जब तक रजिस्टर्ड बेचान के आधार पर भरा गया म्युटेशन निरस्त नहीं होता है, तब तक अपीलान्ट को इस अपील में कोई रिलीफ नहीं दी जा सकती है। माननीय राजस्व मण्डल, माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने विभिन्न निर्णयों में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि जहां पक्षकारों के मध्य नियमित वाद विचाराधीन हो, वहां म्युटेशन की समरी प्रोसेडिंग नहीं चल सकती है एवं म्युटेशन की समरी प्रोसेडिंग स्थगित किये जाने योग्य है। माननीय राजस्व मण्डल एवं माननीय उच्च न्यायालय ने अपने विभिन्न निर्णयों में यह सिद्धांत भी प्रतिपादित किया है कि म्युटेशन की समरी प्रोसेडिंग में उत्तराधिकार, रजिस्टर्ड दस्तावेजों से संबंधित कठिन प्रश्नों का निर्धारण नहीं किया जा सकता है, ऐसे प्रश्न नियमित वाद में ही निर्णित किये जाने योग्य होते हैं एवं

उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर (उत्तर)

प्रकरण में तो स्वयं अपीलान्ट एवं उसके भाईयों ने सक्षम सिविल न्यायालय में नियमित रेस्पोडेंट संख्या 5 के पक्ष में हुए बेचाननामों को निरस्त करने के बाबत प्रस्तुत कर ही ा है, इसलिए अब इस म्युटेशन अपील को आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं रह जाता क्योंकि नियमित वाद का निर्णय ही प्रभावी निर्णय होता है। चूंकि 1/2 हिस्सा नारायणराम वारिसान का है, उनके द्वारा भी बेचान किया गया है एवं अपीलान्ट के भाईयों एवं माता द्वारा भी बेचान किया गया है एवं अपीलान्ट की सगी बहने चूकी देवी व श्रीमती कमला देवी क्रमशः रेस्पोडेंट संख्या 6 व 7 ने भी रेस्योडेंट संख्या 5 के पक्ष में हुए बेचाननामों को विधिवत होना स्वीकार किया है। ऐसी स्थिति में म्युटेशन को आंशिक रूप से निरस्त भी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अधिकांश खातेदारों द्वारा भूमि विक्रय की जा चुकी है। भूमि बेचान करके प्रतिफल की राशि प्राप्त हो जाने के पश्चात छल, कपट व धोखाधड़ी करके खरीददार को तंग, हैरान, परेशान व ब्लेकमेल करने के लिए यह अपील प्रस्तुत की गई है एवं नियमित वाद के विचाराधीन रहते इस अपील को आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं रहता है, क्योंकि न्यायालय उन व्यक्तियों को मदद करने के लिए है, जो क्लिन हैण्ड से हो और बोनाफाईड हो। नियमित वाद में दोनों पक्षों की साक्ष्य सबूत लेकर दोनों पक्ष के हक व अधिकारों के बाबत विस्तृत निर्णय होता है, इसलिए नियमित वाद के विचाराधीन होने के कारण म्युटेशन की यह समरी प्रोसेडिंग चलने योग्य नहीं है एवं स्थगित किये जाने योग्य है। अपीलान्ट ने उक्त अपील लगभग 26–27 वर्ष की देरी से प्रस्तुत की है, देरी के संबंध में कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं है। अपीलान्ट को म्युटेशन जैर अपील की एवं भूमि आगे विक्रय होने की बखूबी जानकारी रही है, जिसकी पुष्टि अपीलान्ट की बहने रेस्पोडेंट संख्या 6 व 7 के जवाब से भी होती है। इस प्रकार अपीलान्ट की अपील जाहिरा रूप से मियाद बाहर होने के कारण भी खारिज किये जाने योग्य है। अतः लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलान्ट की अपील मेन्टेनेबल नहीं होने के कारण तथा सिविल वाद विचाराधीन होने के कारण अपील में अग्रिम कोई कार्यवाही चलने योग्य नहीं होने के कारण अपील की अग्रिम कार्यवाही को स्थगित रखते हुए अपील को दाखिल दफ्तर फरमाया जाये। अन्य आदेश जो उचित एवं न्यायसंगत हो, पारित फरमाया जाये। वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 5 ने निम्नांकित न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

1. RRD 1908 SMT. JASODA VS BHAGWAN SINGH AND ORS (101)
   Right title and interest between the parties will be decided in regular suit- Mutaton no. 128 as i is and shall be modified according to the decision of the regular suit-
2. RRD 1973 Vnskhandi v. Ramjilal (236)
   Stay of proceedings-Inherent powers of court Summary proceedings to be stayed where regular suit pending-Parties should not be permitted to litigate eer the same matter in different courts and in different proceedings
3. RRD 1994 Kanahiyalal and Ors. Braj Mohan and anr.
   (B) Rajasthan Land Revenue Act. Section 135- When a regular suit in regard to the same land in already pending between the parties in a competent parties and the entries ain the revenue record will be made on the basis of such a decree.

उपखण्ड अधिकारी
कोटपूर (उत्तर)

4. RRD 1995 Bal kishan vs Ratan lal (49)
Stay of Proceedings- Inherent power of court –
Summary proceedings ought to be stayed interest of justice- Summary proceedings could be stayed under inherent powers of court so as to prevent multiplicity or proceeding and complications

5. RRD-14-5-2019 Kadar Bano and anr.Vs Khurshid and ors.
The intriccate court in regular suit only. In the instant matters, the parties are litigating in these summarty proceedings since the year 2003, though the parties in pending in Revenuse Court. In view ot that fact, there apears no justification to invoke the revisional jurisdiction against the impugned order/judgemens passed in summary proceedings. The final determination of the reght of the parties will depend upon outcome of the suit, which shall be decided by the court below withourt being influnced by and of the observations/findidngs/judgments in the instand proceedings.

वकील अपीलांट ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि म्यूटेशन अपील राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार का विषय है रजिस्ट्री निरस्त करने का अधिकार सिविल कोर्ट को है वही दूसरी ओर म्यूटेशन अपील सुनने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायायल को ही है। पिता की मृत्यु पर उनकी सम्पति मे मुझ पुत्री का विधिक अधिकार है जिससे वंचित नही किया जा सकता । 1995 मे पिता की मृत्यु के पश्चात् जो नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया वह सभी वारिसानो के नाम से नही भरा गया । रेस्पोडेन्ट के अधिवक्ता द्वारा पेश न्यायिक दृष्टान्त इस मामले मे लागू नही होते क्योंकि नियमित वाद राजस्व न्यायालय मे नही चलकर सिविल न्यायालय मे विचाराधीन है।

दोनों पक्षों की बहस सुनी, पत्रावली का आवलोकन किया। म्युटेशन संख्या 260 वर्ष 1995 में स्वीकृत होने के पश्चात राजस्व रेकर्ड में दर्ज समस्त खातेदारान द्वारा वर्ष 2015 में अपील में वर्णित खसरा नम्बर 690 व 691 की 23 बीघा 10 बिस्वा भूमि रेस्पोडेंट संख्या 5 को विक्रय कर दी गई। उक्त बेचान के आधार पर म्युटेशन संख्या 1436 रेस्पोडेंट के पक्ष में स्वीकृत हो गया। बेचान के आधार पर भरे गये पश्चातवृति म्युटेशन संख्या 1436 को अपीलान्ट ने कोई चुनौती नहीं दी है। बल्कि जिन बेचाननामों के आधार पर म्युटेशन संख्या 1436 स्वीकृत हुआ, उन बेचाननामों को निरस्त करने के लिए अपीलान्ट एवं उसके भाईयों ने शामलाती रूप से बेचाननामा निरस्तीकरण का वाद जिला न्यायालय जोधपुर में प्रस्तुत किया, जो वर्तमान में अपर जिला न्यायाधीश संख्या 3 जोधपुर के न्यायालय में विचाराधीन है। यह एक स्वीकृत स्थिति है कि जब तक रजिस्टर्ड बेचाननामें निरस्त नहीं हो जाते है तब तक उसके आधार पर भरे गये म्युटेशन संख्या 1436 भी निरस्त नही हो सकता है एवं पूर्व में भरा गया वर्ष 1995 का म्युटेशन, म्युटेशन संख्या 1436 में मर्ज हो चुका है। एक तरफ तो अपीलान्ट अपनी भूमि अपने भाईयों के द्वारा विक्रय करने के तथ्य को गलत बता रहे है एवं दूसरी तरफ अपीलान्ट अपने भाईयों के साथ मिलकर ही दोनो वादीगण बनकर सिविल न्यायालय में बेचाननामा निरस्तीकरण का वाद प्रस्तुत किया गया है, इससे यह स्पष्ट होता है कि अपीलान्ट एवं उसके भाई आपस में मिलावट किए हुए है। जबकि अपीलान्ट के भाई व उस समय के अन्य सह–खातेदारों ने सम्पूर्ण भूमि विक्रय करके प्रतिफल की सम्पूर्ण राशि प्राप्त कर कब्जा केता रेस्पोडेंट संख्या 5 को सुपुर्द किया। रेस्पोडेंट संख्या 5 ने वादग्रस्त भूमि पर एक तरफ 1100 फुट लम्बी पक्की चार दीवारी, अंदर रहवासीय कमरें, ढालिये इत्यादि, भूमि के आगे लोहे का गेट जिस पर रेस्पोडेंट संख्या 5 का नाम लिखा हुआ है तथा मौके पर उसके

उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर (उत्तर)

पत्थर, बजरी खण्डे ईटो का स्टोरेज तथा रेस्पोडेंट संख्या 5 के नाम बिजली का कनेक्शन होने का भी कथन किया है। रेस्पोडेंट ने यह भी कथन किया है कि बेचान से पूर्व वर्ष 2006 में ही वादग्रस्त भूमि ओमप्रकाश वगैराह द्वारा जरिये एग्रीमेंट बेचान रेस्पोडेंट संख्या 5 को विकय कर उसका कब्जा वर्ष 2006 में हीं रेस्पोडेंट संख्या 5 को सुपुर्द कर दिया था तथा बेचाननामा उक्त एग्रीमेंट की अनुपालना में ही वर्ष 2015 में लिखा गया। रेस्पोडेंट संख्या 5 ने यह कथन किया है कि भाईयों ने जब भूमि बेचकर प्रतिफल प्राप्त की तब अपिलान्ट ने आपत्ति नहीं की तथा अब दोनों ने मिलीभगत से खरीददार को परेशान करने के लिए यह अपील प्रस्तुत की है।

अपीलान्ट की सगी बहने जो कि रेस्पोडेंट संख्या 6 व 7 उन्होने रेस्पोडेंट संख्या 5 के पक्ष में हुए बेचाननामें की सही होना स्वीकार किया है तथा यह कथन किया है कि वर्ष 2015 में जो बेचाननामें हुए है, उसके बाबत उन्हें कोई एतराज नहीं है। बहनों ने म्युटेशन की जानकारी वर्ष 1996 में ही होना बताया तथा बेचाननामें हुए उनकी जानकारी भी वर्ष 2016 में होने का जवाब अपील में किया है। यह अपील म्युटेशन स्वीकृत होने के लगभग 26–27 वर्ष बाद प्रस्तुत की गई है। रेस्पोडेंट द्वारा बहस के वक्त जो न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये गये. है, उनमें यह स्पष्ट रूप से सिद्वांत प्रतिपादित किया गया है कि जहां नियमित वाद विचाराधीन हो, वहां म्युटेशन की समरी प्रोसेडिंग में अग्रिम किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं करते हुए उसकी अग्रिम कार्यवाही स्थगित कर देनी चाहिए। इन निर्णयों में यह भी सिद्वांत प्रतिपादित किया गया है कि पक्षकारों के हक व अधिकार नियमित वाद में ही तय होते है एवं नियमित वाद में ही दोनो पक्षों की साक्ष्य, सबूत लेकर विस्तृत रूप से निर्णय किया जाता है। चूंकि रेस्पोडेंट संख्या 5 के पक्ष में जो रजिस्टर्ड बेचाननामें है, उनकी सिविल न्यायालय में चुनौती दी गई है एवं बेचाननामें की वैधता या बेचान के समय बहनों की स्वीकृति दी या नहीं, बहनों की मिलीभगत है या नहीं है, बेचाननामें के निस्तीकरण का अपीलान्ट को अधिकार है या नहीं, ये सभी तथ्य सिविल न्यायालय में विचाराधीन नियमित वाद में विचारण में तय किये जाने योग्य है। चूंकि पक्षकारों के मध्य सिविल न्यायालय में नियमित वाद विचाराधीन है, इसलिए अब इस म्युटेशन की समरी प्रोसेडिंग को आगे चलाने का किसी प्रकार का कोई औचित्य नहीं रहता है। उपरोक्त स्थिति में अपीलान्ट का बेचाननामा निरस्तीकरण का नियमित वाद विचाराधीन होने के कारण इस स्तर पर अपीलान्ट की अपील अस्वीकार की जाती है। नियमित वाद का निर्णय होने के पश्चात् यदि प्रतिवादी संख्या 5 के बेचाननामें के निरस्त होने की स्थिति में अपीलान्ट को इस अपील को चलाने की आवश्यकता महसूस होने पर अपीलान्ट इस अपील को पुनः रेस्टोर करवाने के लिए प्रार्थना पत्र पेश करने के लिए स्वतंत्र रहेगी।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(पंकज कुमार)RAS
उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर (उत्तर)

आदेश आज दिनांक 01/8/24 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (उत्तर) जोधपुर

1/8/24

(पंकज कुमार)RAS
उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर (उत्तर)